भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50 Rs. 50

ARMED FORCES FLAG DAY

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696643

-1-

<u>शोभा कृष्ण फाउन्डेशन, नौकापुरा, लंका, गाजीपुर</u>

<u>दस्तावेज फाउन्डेशन (डीड/न्यास पत्र)</u>

<u>देय स्टाम्प शुल्क मु0-850/- रू0</u>

हम कि **श्रीकृष्ण पाल सिंह पुत्र स्व0 उदय नारायण सिंह, निवासी मुहल्ला--नौकापुरा, लंका, जिला--गाजीपुर** इस ट्रस्ट के संस्थापक है जो दिनांक 06-01-2017 ई0 को अस्तित्व में लाया [illegible] हम संस्थापक ट्रस्टी शैक्षिक उत्थान, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, कृषि कार्य एवं किसानो के उत्थान हेतु उससे सम्बन्धित कार्य, निराश्रित विधवा, विकलांग, असहाय, बच्चो एवं वृद्ध तथा पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं समाज के सभी वर्गों, आर्थिक सामाजिक पिछड़े लोगो के लिए चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान तथा किसानो एवं ग्रामीणो के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक उत्थान मे विशेष रूचि के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करता हूँ। हम श्रीकृष्ण पाल सिंह संस्थापक मुख्य ट्रस्टी नियुक्त करते हुए शोभा कृष्ण फाउन्डेशन, की स्थापना करते है। इस ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों उपबन्धों के अन्तर्गत की जायेगी। ट्रस्ट का [illegible] है।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

06/01/2024

रवीन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाईसेन्स नं०—115
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च [illegible]

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696660

ट्रस्ट (न्यास) का नाम– शोभा कृष्ण फाउन्डेशन

ट्रस्ट का पता–

मुहल्ला	नौकापुरा, लंका
पोस्ट	मुख्य डाकघर
थाना	कोतवाली
परगना	सदर
तहसील	सदर
जिला	गाजीपुर

मुख्यालय–पंजीकृत कार्यालय मुहल्ला–नौकापुरा, लंका, पोस्ट–मुख्य डाकघर, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

1– श्रीकृष्ण पाल सिंह पुत्र स्व0 उदय नारायण सिंह, निवासी मुहल्ला– नौकापुरा, लंका, जिला–गाजीपुर (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/ अध्यक्ष) .

2– श्रीमती शोभा सिंह पत्नी श्रीकृष्ण पाल सिंह निवासी मुहल्ला–नौकापुरा, लंका, पोस्ट–मुख्य डाकघर, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर, उ0प्र0 (उपाध्यक्ष)

श्री प्रवीण कुमार सिंह पुत्र श्रीकृष्ण पाल सिंह निवासी, मुहल्ला–नौकापुरा, लंका, पोस्ट–मुख्य डाकघर, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर, उ0प्र0 (सचिव)

[illegible] कुमार सिंह पुत्र श्रीकृष्ण पाल सिंह निवासी, मुहल्ला–नौकापुरा, लंका, पोस्ट–मुख्य डाकघर, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर, उ0प्र0 (सदस्य)

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

5896

501

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2016
गाजीपुर

रवीन्द्र प्रसाद
[illegible], गाजीपुर
लाईसेंस सं०—115
लाईसेंस की अवधि 31 मार्च 2020

सत्यमेव जयते

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

Sunbeam School
Principal

Sunbeam School
Manager

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696645

5- श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 उमराव सिंह निवासी मुहल्ला-अमन नगर नये बस स्टैण्ड के सामने, भभुआ, जिला-कैमूर (बिहार) (सदस्य)

6- श्रीमती स्मिता सिंह पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह निवासी मुहल्ला-अमन नगर नये बस स्टैण्ड के सामने, भभुआ, जिला-कैमूर (बिहार) (सदस्य)

7- श्रीमती कविता सिंह पत्नी नवीन कुमार सिंह निवासी मुहल्ला-नौकापुरा, लंका, पोस्ट-मुख्य डाकघर, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर, उ0प्र0 (सदस्य)

8- श्री ईश्वर जी सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-पटकनिया, परगना व तहसील-जमानियां, जिला-गाजीपुर (सदस्य)

9- श्रीमती शालिनी सिंह पत्नी श्री प्रवीण कुमार सिंह निवासी मुहल्ला-नौकापुरा, लंका, पोस्ट-मुख्य डाकघर, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर, उ0प्र0 (सदस्य)

ट्रस्ट का नाम-	शोभा कृष्ण फाउन्डेशन
ट्रस्ट का पता-	मुहल्ला-नौकापुरा, लंका, पोस्ट-मुख्य डाकघर, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर, उ0प्र0।
ट्रस्ट का मुख्यालय-	मुहल्ला-नौकापुरा, लंका, पोस्ट-मुख्य डाकघर, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर, उ0प्र0।
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-	सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्ट का उद्देश्य-ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

[illegible] बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर, हाई स्कूल, [illegible] एवं बालिका इण्टर मिडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, [illegible], चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, [illegible], निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण,

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

निबंधन तिथि 06/01/2017 5697

स्टाम्प क्रय का प्रयोजन ... 2000

स्टाम्प क्रेता का नाम ... कृष्णपाल सिंह पुत्र उदय नारायण सिंह के जापर कैरा.

स्टाम्प की धनराशि ... 601

वरिष्ठ कोषाधि[illegible]

04 NOV 2016

गाजीपुर

स्टाम्प विक्रेता, सिविल कोर्ट, गाजीपुर

लाईसेन्स नं०--115

वैधता की अवधि 31 मार्च 2020

न्यास की राशि	200.00	100	300.00	5
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री श्रीकृष्ण पाल सिंह [निर्वाचन कार्ड]

पुत्र श्री उदय नारायण सिंह

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी भीकापुरा लंका जिला गाजीपुर

अस्थायी पता 0

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 6/1/2017 समय 1:11PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के [illegible]

दीपक जायसवाल

उप निबन्धक सदर

गाजीपुर

6/1/2017

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री श्रीकृष्ण पाल सिंह [निर्वाचन कार्ड]

पुत्र श्री उदय नारायण सिंह

पेशा अन्य

निवासी भीकापुरा लंका जिला गाजीपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान शत्रु कुमार राय [आधार कार्ड]

पुत्र हरिकेशनारायण राय

पेशा वकालत

निवासी कचहरी रोड नवापुरा शहर गाजीपुर

व अभिषेक राय [निर्वाचन कार्ड]

पुत्र अशोक कुमार राय

पेशा अन्य

निवासी रजलीला ए शहर गाजीपुर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ता[illegible]

दीपक जायसवाल

उप निबन्धक सदर

गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696646

-4-

एड्स सामाजिक उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन, आश्रम पद्धति विद्यालय संस्कृत विद्यालय हरिजन विद्यालय पीठ शिक्षा केन्द्र कान्वेंट विद्यालय बालश्रमिक विद्यालय, आई०सी०एस०ई०, सी०बी०एस०ई०विद्यालयो का संचालन करना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें सम्ब० आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत कराना।

2. कृषिकार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
3. उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।
4. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
5. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, अर्वाड नोराड, डवाकरा, डी०आर०डी०ए० अम्बेडकर ग्राम स्वजलधारा, सिप्सा, निर्मल भारत यूनिसेफ, सिडवी, सूडा, सूडा महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागो के कार्य का संचालन करना

[illegible] आई०टी०आई०, आई०आई०टी०, पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, [illegible] टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियो थेरेपी आदि मेडिकल कालेजो [illegible] एवं संचालन करना।

[illegible] के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, [illegible] फोटोस्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म [illegible]

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

क्रमशः.....5

विक्रय तिथि 06/01/2017 105670
स्टाम्प का प्रयोजन .... दूसरा
क्रेता का नाम व पता .... Sun beam के लिए
स्टाम्प की धनराशि 501

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2016
Book No. गाजीपुर

शैलेन्द्र प्रसाद
Registration विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाइसेन्स नं०—115
0101 वैधता तिथि 31 मार्च 2020

न्यासी
Year: 2,017

उदय नारायण सिंह
नौकापुरा सबरा जिला गाजीपुर
अन्य

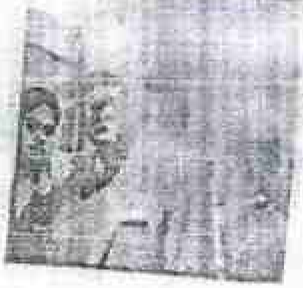

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

Sunbeam School
Manager

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696647

7. पुस्तकालय, वाचनालय पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
8. अन्धे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
9. विभिन्न विषयो के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा मार्सल आर्ट, संगीत तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर, कौशल विकास प्रोफेसनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
10. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बना कर स्वालम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
11. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कर सकना।
12. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
13. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयो, मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों, आई०टी०आई० कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
14. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं तथा [illegible] से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

क्रमश......6

5699

क्रय तिथि 06/04/2017 क्रम सं० 9982
स्टाम्प पत्र का प्रयोजन [illegible]
स्टाम्प प्राप्त का नाम व पता 5019 - [illegible]
स्टाम्प की धनराशि 501

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2019
गाजीपुर

शशिन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाईसेन्स नं0—115
Registration/लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

गवाह

Year : 2017

Book No. : 4

W1 जय कुमार राय [आधार कार्ड]

श्री देवनारायण राय

कचहरी रोड मधुरा शहर गाजीपुर

वकालत

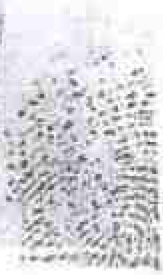

W2 अभिषेक राय [निर्वाचन कार्ड]

अशोक कुमार राय

तुलसीसागर शहर गाजीपुर

अन्य

Sunbeam School
Manager

To
Sunbeam School, Dildarnagar
Dehwal, Ghazipur

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696648

15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
16. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
18. एड्स के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार–प्रसार करना।
19. पुस्तक/पुस्तिकाएं, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित एवं विक्रय करना।
20. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविषिक आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
21. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे–सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
22. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्धार तथा आध्यात्मिक प्रेम भाई चारा का विकास करना।
23. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
24. विभिन्न संस्थाओं विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, कालेज, व्यावसायिक कालेजों एवं प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
25. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

क्रमश.........7

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager

06/01/2017 5700

शचिन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाईसेन्स नं०--115
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
2018
गाजीपुर

सत्यमेव जयते

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

Manager

Principal

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8D 696649

26. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।

ट्रस्ट का कार्यकाल– ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र/पुत्रबधु/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगें, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता–श्री शिवशंकर जनसेवा ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से रू0–5,000/– रूपये (पाँच हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी [illegible] बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा [illegible] द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति [illegible] जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति [illegible] तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से रू0 [illegible] हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये [illegible] कार्यकाल पाँच वर्ष [illegible] प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

Principal

क्रमशः......8

08/11/2017 3761

5694

—501

शशिकान्त प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाइसेन्स नं०—115
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
24 NOV 2018
गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696650

संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है।

ट्रस्ट के अधिकार एवं कर्तव्य–

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी–

1– संस्थापक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2– मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।

3– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठको की अध्यक्षता करना।

4– किसी भी विचारणीय विषय पर समानतम होने पर एक निर्णायक मत देना।

5– आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6– ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

8– मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय–विक्रय लीज (पट्टा) तथा किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना, विवादों का निस्तारण की पैरवी करना।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

क्रमशः........9

[illegible] 5702

[illegible] 5894 [illegible]

रविन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाईसेन्स नं०—125
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2016
गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696651

9— मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल–अचल सम्पत्तियों का ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान या खरीद सकता है।

10— मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

11— संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

12— संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

13— किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14— ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, उपनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

15— ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।

Manager

Manager Sunbeam School

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR/GHAZIPUR

शेष........10

विक्रय तिथि 06/01/2014 5703

स्टाम्प क्रय का प्रयोजन ... क्र० सं० ...

स्टाम्प लेने वाले का नाम व ... ...

स्टाम्प की धनराशि ...

रवीन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाईसेंस नं०—115
समयसीमा की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
... 2016
गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR GHAZIPUR

Sunbeam School
Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696652

16— ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

सचिव संस्थापक ट्रस्टी —

1— मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन सचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2— बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3— ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा—निर्देश देना।

4— नये सदस्यो के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।

5— ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति सचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

6— ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यो का सम्पादन करना।

7— ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

क्रमश......11

5704

वरिष्ठ कोषाधिकारी

14 NOV 2013

गाजीपुर

स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर

लाईसेन्स नं०–115

लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

PRINCIPAL

SUNBEAM SCHOOL

DILDARNAGAR GHAZIPUR

Manager

Sunbeam School

Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696653

सदस्य ट्रस्टी—

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग—

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1— साधारण सभा

2— प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)— साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त मु0–5,000/– रूपये (पाँच हजार रूपये)संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 5 होगी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

बैठकें—

1— साधारण बैठकें— ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभी की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

क्रमशः........12

रविन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाईसेन्स नं०—115
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2018
गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

Sunbeam School
Manager

Sunbeam School
Principal

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696654

2– विशेष बैठक– दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक कराना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यों को कराना जो समिति के हित में हो।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

क्रमशः......13

5766

[illegible] प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाइसेंस नं०—125
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2016
गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Principal

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

Manager

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696655

ट्रस्ट (न्यास प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध । समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य– सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का सचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का सचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, सचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का सचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर [illegible] समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

Sunbeam School Manager

क्रमश........14

5707

5874

रवीन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाईसेन्स नं०—115
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2018
गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

Sunbeam School
Manager

Sunbeam School
Principal
Dewal, Dildar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696656

गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति— यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नही होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त मु0–5,000/– रूपये (पाँच हजार रूपये) नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा सचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1— बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2— ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

3— ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।

4— आय–व्यय का ब्योरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

क्रमशः......15

5708

581/-

शैलेन्द्र प्रकाश
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाइसेन्स नं०—115
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2016
गाजीपुर

Sunbeam School
Manager

Sunbeam School
Principal

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया--

समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष--

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी, सचिव संस्थापक ट्रस्टी/सचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण--

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व--

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

Manager

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

क्रमशः........16

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

5094

501

रवीन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाइसेन्स नं0--115
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2019
गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु. 50

FIFTY RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 696658

25. ट्रस्ट (न्यास) के विलेख–

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

26– शोभा कृष्ण फाउन्डेशन (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से मु0–10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही–ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28– ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

29ए– हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

29बी– संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी–केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

29डी–आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

Manager
Sunbeam School

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

क्रमशः......17

12017 S.N 5709

216

S.N 5094

80/-

रवीन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाइसेन्स नं०—115
लाइसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2016
गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये Rs.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 69665

दिनांक :-06-01-2016 ई0

मसविदाकर्ता:- अमित कुमार राय, एडवोकेट

टंकणकर्ता:- नन्दलाल

साक्षीगण :-

1- रुद्र कुमार राय
पुत्र सर्वदेव नारायन राय
ग्रा० नवापुर (करण्डा) गाजीपुर

2- आशीष राय
पु० श्री अशोक कुमार राय
तुलसी सागर, गाजीपुर

(श्रीकृष्ण पाल सिंह)

(संस्थापक/अध्यक्ष)
शोभा कृष्ण फाउन्डेशन
नीकापुरा, लंका, गाजीपुर

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR, GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar

रविन्द्र प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, गाजीपुर
लाईसेन्स नं०—115
लाईसेन्स की अवधि 31 मार्च 2020

वरिष्ठ कोषाधिकारी
04 NOV 2016
गाजीपुर

आज दिनांक 06/01/2017 को
बही सं. 4 जिल्द सं. 71
पृष्ठ सं. 271 से 304 पर क्रमांक 3
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दीपक जायसवाल
उप निबन्धक सदर
गाजीपुर
6/1/2017

PRINCIPAL
SUNBEAM SCHOOL
DILDARNAGAR GHAZIPUR

Manager
Sunbeam School
Dildarnagar